राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

LkO d-jk-Qk-@lj0@Ñf"k@2015&16@& fnukd 09-02-2016

dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< e fgLlk vk/kkj ij chtkRiknu gr fufonk vkea=.k lpuk&

lo lk/kkj.k dk lfpr fd;k tkrk g fd dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ftyk&Jhxxkuxj¼jkt-½ e fgLlk vk/kkfjr chtkRiknu gr [kjhQ&2016 vkj jch&16&17 Qly l= e chtkRiknu gr bPNd fufonknkrkvk l cUn fufonk;s vkef=r dh tkrh gA

fufonk i=i= ,o dk;l dh fu;e o 'krs fdlh Hkh dk;l fnol e Qke d Ñf"k dk;ky; l : 500@& udn 'kYd tek djokdj ikIRk dh tk ldrh gA fufonk i=i=] fu;e o 'krs fuxe dh copLkbV **www.indiaseeds.com** l Hkh MkmuykM dh tk ldrh g ijUr fufonk i=i= dh fu/kkfjr jkf'k : 500@& dh dS'k jlhn fufonk nr le; lkFk e layXu djuk vko';d gkxk vU;Fkk fufonk ekU; ugh gkxhA [kjhQ&2016 e chtkRiknu gr yxHkx 850 gDV;j ,o jch&2016&17 e yxHkx 1500 gDV;j {k=Qy e chtkRiknu fufonk d fu;e ,o 'krs vuqlkj djk;k tkuk gA fufonk d lkFk : 1500@& ifr gDV;j dh nj l vekur jkf'k dk Mh-Mh- tks fd jk"Vh; cht fuxe fyfeVM] ljnkjx< d uke l ljrx< e n; gks fufonk d lkFk layXu djuk gkxkA fufonk fnukd 02-03-2016 dk vijkUg 1 ct rd foØ; fd;s tk;x rFkk lk; 3 ct rd tek djk; tk;x] ikIr fufonk;s mlh fnu mifLFkr fufonknkrkvk@mud ifrfuf/k d lEk{k [kksyh tk;xhA fufonk d lkFk iu dkM vkj okVj vkbZ Mh-@vk/kkj dkM dh Nk;kifr layXu djuk vfuok;l gkxkA

lgk0egkica/kd
d-jk-Qke] ljnkjx<

dUnh; jkT; Qke] ljnkjx<+

ifjf'k"V

[kjhQ&2016 ,oa jch&2016&17 Qly l= esa chtksRiknu gsrq iLrkfor Qly ,oa vuqekfur {ks=

¼d½ [kjhQ&2016

Ø- la-	Qly	{ks=¼gsDVs;j esa½
1	/kku	600
2	ewax	100
3-	mnZ	50
4-	Xokj	100
	dqy	850

¼[k½ jch&2016&17

Ø- la-	Qly	{ks=¼gsDVs;j esa½
1	xsgwa	350
2	tkS	200
3-	puk	400
4-	ljlks	400
5-	tbZ	150
	dqy	1500

¼x½ iLrkfor pd ,oa {ks=

Cykd ua- 4

Ø- la-	pd ua-	{ks=¼gsDVs;j esa½	fVIi.kh ¼flapkbZ dk lk/ku½
1	39 ihch,u	256	ihch,u o V;wcoSy
2	40 ihch,u	118-40	ihch,u
3-	43 ihch,u	100	o"kkZ vk/kkfjr {ks=
	dqy	474-40	

Cykd ua- 5

Ø- la-	pd ua-	{ks=¼gsDVs;j esa½	fVIi.kh ¼flapkbZ dk lk/ku½
1	47 ,	273	y?kq¼ekbuj½ flapkbZ i)fr ;kstuk
2	49 ,	112	QkeZ ekbuj dh ek/;e ls
3-	47 ch	121	uofufeZr fMXxh dh ek/;e ls
4-	49 ch	109-30	uofufeZr fMXxh dh ek/;e ls
5-	51 ,	149-20	QkeZ ekbuj dh ek/;e ls ,d fudklh
6-	51 ch	154-40	QkeZ ekbuj dh ek/;e ls nks fudklh
7-	52	116-60	o"kkZ vk/kkfjr {ks=
	dqy	1042-80	

	dqy ;ksx	1517-20 gsDVs;j	

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

fnukd%&02-03-2016

Vkdu l[;k------------------------

&&&fufonk i=&&&

lelr Ñf"k fØ;kvk o i;kx e yk; tku oky lHkh vknkuk dh ,ot e fgLLkkvk/kkjhr mRiknu i)fr d vk/kkj ij o"k 2016&17 e dUnh; jkT; Qke ljnkjx< ftyk Jh xxkuxj dh pd u------------- dh tehu ij cht mRiknu d fy, nj fuEu fooj.k vulkj iLrr gA

1- fufonknkrk dk uke o irk---

2- okVj vkbZ dkM@vk/kkj dkM u-¼ifrfyfi lfgr½---

3- Qku u--

4- iu dkM u- ¼ifrfyfi lfgr½---

5- अमानत राशि का विवरण डी-Mh u- lfgr---

Ø l-	फसल उत्पाद की दर प्रतिशत में जो निविदादाता दवारा ली जानी है		
1-	iLrkfor pd dk uke o {k= ¼gDV;j½	Qly lhtu] Qly dk uke o {k= ¼gDV;j½	Qly mRikn fgLl dh nj प्रतिशत में फसलवार
1	2	3	4

eu fufonk dh fu;e ,o 'krs vPNh rjg i< o le> yh gA e Qke nokjk fu/kkfjr fu;e ,o 'krk के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ij dk; LohÑr gku ij iLrr dj nxkA

fufonknkrk d gLrk{kj

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्मःसरदारगढ
जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

<u>समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें।</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- मात्र प्रति हैक्टर (रूपये एक हजार पांच सौ) का डी.डी. जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ के नाम से सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाता को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा।
2. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज,उर्वरक कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे । बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रेवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा । जिसका भुगतान निविदादाता से समायोजन किया जायेगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेंहूँ की फसल में प्रोपीकोनाजोल(फंगीसाइड फफूंदनाशक) दवा का छिड़काव, करनाल बंट नामक बिमारी के नियन्त्रण के लिए करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबन्ध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिड़काव करायेगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अन्तिम भुगतान बिल में से काट ली जायेगी।
3. खेती से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुआई,उर्वरक का इस्तेमाल,पलेवा,सिंचाई,कृषि रसायन का इस्तेमाल,सिंचाई नालियों की साफ सफाई,फसल निराई गुड़ाई,रौंगिंग, फसल की रखवाली,कटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुचांकर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशन निविदादाता को करने होगें। इन सभी कार्यो में होने वाले खर्च के एवज मे फसल उत्पादन (साफ व गुणवता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी । जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2016-17 के लिए खरीफ 2016 व रबी 2016-17 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर दिया जायेगा।,निविदादाता को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पादन के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा। तथा 20 प्रतिशत भुगतान फसल उत्पादन की दर निश्चित होने के पश्चात् किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मो के लिए श्रीगंगानगर मण्डी(मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगाः- धान- 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द,मूंग,मोठ व मूंगफली 1नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार - 1 से 31 अक्टूबर, सरसों - 16 अप्रैल से 15 मई, चना - 15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ - 15 मई से 15 जून होगा। यदि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बोनस दिया जाता है तो वह फार्म द्वारा देय होगा।

लगातार......2

4. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पंहुचा कर उतारने तक का कार्य सम्बन्धित चक ईचांर्ज,खण्ड प्रभारी, व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वय वहन करेगा।
6. निविदादाता को सिंचाई हेतू पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतन्त्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा।यदि निविदादाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदादाता की सहमति से निर्णय होगा कि ट्यूबवैल फार्म को रखने हैं या निविदादाता उखाड कर ले जायेगा ।ट्यूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिए बिजली का कनैक्शन लेने के लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. बीज उत्पादन के लिये पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदादाता को चक प्रभारी /खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करनी होगी। बीज प्रमाणिकरण से सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुनः निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदादाता को भरनी होगी। यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पादन का भुगतान सूरतगढ़ मण्डी के (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के न्युनतम औसत दर से उसका भुगतान किया जायेगा।
8. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम् दुघर्टना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिको को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस, दुधर्टना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व निविदादाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामलें में निविदादाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे,खर्चे को निविदादाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
9. कटाई,थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भरकर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरान्त पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।
10. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
11. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदादाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान,चोरी आदि की भरपाई निविदादाता से वसूली जायेगी।

लगातार......3

12. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवम् अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
13. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र,बुआई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एवम् सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबन्धन द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
14. निविदा में दिए गये एरिया को कम ज्यादा करने एवम् निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
15. फसल कटाई के उपरान्त पशु, भेड़ बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
16. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण / मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा ।
17. राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरागुणा(भूसा व तूड़ी) निविदादाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।
18. फसल कटाई,गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवम् फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
19. प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पाई जाती है तब निविदादाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी। निविदादाता का न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य फार्म के औसत उत्पादन के बराबर होगा।
20. निविदादाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
21. निविदादाता द्वारा कीट व बिमारी प्रबन्धन के लिए अधिकतर क्षेत्र में आई0पी0एम0 प्रक्रिया अपानानी होगी।
22. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
23. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र/थेड़ी है तो निविदादाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
24. निविदादाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
25. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल वर्ष 2016-17 (खरीफ 2016 व रबी-2016-17) के लिए होगा।
26. निविदादाता द्वारा कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं करने पर उक्त कार्य फार्म द्वारा निविदादाता के खर्चे पर कराया जायेगा।
27. निविदादाता का सम्बन्ध केवल कृषि कार्य से ही रहेगा। तथा नियम व शर्तो के लिए ठेकेदार को रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध मय गवाहों के हस्ताक्षर के फार्म को देना होगा।
28. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/नियन्त्रण/निदान संभव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदादाता अनुबन्ध की शर्तो को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

लगातार......4

29. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि0 नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायलय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अन्तर्गत एकल मध्यस्थ की सुनवाई होगी।

सहा0 महाप्रबंधक(उत्पादन)

निविदादाता के हस्ताक्षर